रिपोर्टेबल

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या 512/2020

युसूफ हुसैन उर्फ गुड्डु पुत्र तफज्जुल हुसैन जैदी, निवासी मकान संख्या 4037, नाहरवाड़ा स्कूल के नीचे, चीते वालों का मौहल्ला, जगन्नाथ शाह का खुर्रा, चौकड़ी रामचन्द्र जी, जयपुर (राजस्थान)

----अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती साबरा बेगम पत्नी तफज्जुल हुसैन जैदी, निवासी मकान संख्या 4037, नाहरवाड़ा स्कूल के नीचे, चीते वालों का मोहल्ला, जगन्नाथ शाह का खुर्रा, चौकड़ी रामचन्द्र जी, जयपुर (राजस्थान) निवासी चौधरी हॉस्पिटल, हाउसिंग बोर्ड, ईदगाह। दिल्ली बाईपास, जयपुर
2. तरन्नु बानो उर्फ कहकशा पुत्री तफज्जुल हुसैन जैदी, निवासी मकान संख्या 4037, नाहरवाड़ा स्कूल के नीचे, चीते वालों का मोहल्ला, जगन्नाथ शाह का खुर्रा, चौकड़ी रामचन्द्र जी, जयपुर (राजस्थान) निवासी चौधरी अस्पताल, हाउसिंग बोर्ड, ईदगाह, दिल्ली बाईपास, जयपुर
3. तजम्मुल हुसैन पुत्र तफज्जुल हुसैन जैदी, निवासी मकान संख्या 4037, नाहरवाड़ा स्कूल के नीचे, चीते वालों का मोहल्ला, जगन्नाथ शाह का खुर्रा, चौकड़ी रामचन्द्र जी, जयपुर (राजस्थान) निवासी चौधरी हॉस्पिटल, हाउसिंग बोर्ड, ईदगाह। दिल्ली बाईपास, जयपुर
4. श्रीमती खुर्शीद पुत्री तफज्जुल हुसैन जैदी, निवासी नौगांवा सादात, जिला मुरादाबाद (उत्तरप्रदेश) वर्तमान में निवासी चौधरी हॉस्पिटल, हाउसिंग बोर्ड, ईदगाह दिल्ली बाईपास, जयपुर
5. श्रीमती किश्वर पुत्री तफज्जुल हुसैन जैदी, निवासी सईद नगर, मोहल्ला तेजलियां, आगरा (उत्तर प्रदेश) वर्तमान में निवासी चौधरी हॉस्पिटल, हाउसिंग बोर्ड, ईदगाह दिल्ली बाईपास, जयपुर

6. निगहत जैदी पुत्री तफज्जुल हुसैन जैदी, सिल्लोचिकम, बास बदनपुरा, जयपुर

7. नुसरत जहां पुत्री तफज्जुल हुसैन जैदी, निवासी चौधरी हॉस्पिटल, हाउसिंग बोर्ड, ईदगाह दिल्ली बाईपास, जयपुर

8. अफसर जैदी पुत्री तफज्जुल हुसैन जैदी, वर्तमान में चौधरी हॉस्पिटल, हाउसिंग बोर्ड, ईदगाह दिल्ली बाईपास, जयपुर में रहते हैं।

----प्रत्यर्थी

अपीलार्थी (गण) की ओर से	:	श्री गौरव शर्मा सारस्वत
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री मनोज कुमार भारद्वाज

माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार

<u>निर्णय</u>

<u>14/11/2022</u>

1. यह सिविल विविध आवेदन क्रमांक 56/2013 (121/2014) में आदेश IX सीपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकपक्षीय डिक्री को निरस्त करने की अपीलार्थी की प्रार्थना को दिनांक 14.10.2019 को पारित आदेश द्वारा खारिज करने के विरूद्ध सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 43 नियम 1 (घ) के तहत एक अपील है।

2. दोनों पक्षों के बीच प्लॉट संख्या 4037 पर मकान के बंटवारे का मुकदमा चल रहा था। 26.2.2009 को मुकदमे में एकपक्षीय प्रारंभिक डिक्री पारित की गई और 18.1.2012 को एकपक्षीय अंतिम डिक्री भी पारित की गई। अपीलार्थी जो मुकदमे में प्रत्यर्थी था, वह पहले ही मुकदमे की कार्यवाही में उपस्थित हो चुका था, हालांकि अपीलार्थी के अनुसार, जब मुकदमा सुनवाई के लिए बुलाया गया था तो उसे पर्याप्त कारण से उपस्थित नहीं होने से रोका गया था।

3. आक्षेपित आदेश से पता चलेगा कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने मुख्य रूप से प्रत्यर्थी अपीलार्थी को नोटिस की उचित सेवा और विभाजन मुकदमे की कार्यवाही के संबंध

में प्रत्यर्थी अपीलार्थी के ज्ञान का समर्थन करने के लिए सामग्री पर भरोसा किया। आदेश IX सीपीसी का नियम 13 इस प्रकार है:

> **13. प्रत्यर्थी के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री को रद्द करना.**
>
> किसी भी मामले में जिसमें किसी प्रत्यर्थी के खिलाफ एकतरफा डिक्री पारित की जाती है, वह इसे रद्द करने के आदेश के लिए उस न्यायालय में आवेदन कर सकता है जिसके द्वारा डिक्री पारित की गई थी; और यदि वह न्यायालय को संतुष्ट करता है कि समन की विधिवत तामील नहीं की गई थी, या जब मुकदमे की सुनवाई के लिए बुलाया गया था तो उसे किसी पर्याप्त कारण से उपस्थित होने से रोका गया था, तो न्यायालय लागत, न्यायालय में भुगतान या अन्यथा जैसी शर्तें जिसे वह उचित समझे पर उसके खिलाफ डिक्री को रद्द करने का आदेश देगा, और मुकदमे पर आगे बढ़ने के लिए एक दिन नियुक्त करेगा;
>
> **बशर्ते** कि जहां डिक्री ऐसी प्रकृति की हो कि उसे ऐसे प्रत्यर्थी के खिलाफ खारिज नहीं किया जा सकता, केवल उसे सभी या किसी अन्य प्रत्यर्थी के खिलाफ खारिज किया जा सकता है।:
>
> **बशर्ते यह भी** कि कोई भी न्यायालय केवल इस आधार पर एकपक्षीय पारित डिक्री को रद्द नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई है, यदि वह संतुष्ट है कि प्रत्यर्थी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उसके पास उपस्थित होने के लिए पर्याप्त समय था और वादी के दावे का उत्तर दें।
>
> (स्पष्टीकरण- जहां इस नियम के तहत एकपक्षीय रूप से पारित डिक्री के खिलाफ अपील की गई है, और अपील का निपटारा इस आधार के अलावा किसी अन्य आधार पर किया गया है कि अपीलार्थी ने अपील वापस ले ली है, इस नियम के तहत एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया जाएगा।)"

4. इस प्रकार, प्रत्यर्थी अपीलार्थी के खिलाफ पारित एकपक्षीय डिक्री में संबंधित न्यायालय द्वारा न केवल इस कारण से हस्तक्षेप किया जा सकता था कि न्यायालय

संतुष्ट थी कि सम्मन की विधिवत तामील नहीं की गई थी, बल्कि इस आधार पर भी कि जब मुकदमा सुनवाई के लिए बुलाया गया तो अपीलार्थी को किसी पर्याप्त कारण से उपस्थित होने से रोका गया था।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव शर्मा सारस्वत का तर्क है कि अपीलार्थी का बेटा 60% मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित था, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिनांक 4.10.2004 के प्रमाणपत्र से स्पष्ट है और नीचे न्यायालय के समक्ष प्रदर्श-1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मुकदमे में वादी में से एक तरन्नुम बानो ने O.IX R.13 सीपीसी के तहत कार्यवाही में अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि जब मुकदमा दायर किया गया था, अपीलार्थी का बेटा छत से गिरने के कारण चोट लगने के कारण अपने निचले अंगों से विकलांग हो गया। दिव्यांग व्यक्ति के माता-पिता सहित उसकी दादी भी दिव्यांग व्यक्ति के इलाज में लगे हुए थे। प्रत्यर्थीगण की ओर से इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि अपीलार्थी के बेटे की मृत्यु 6.2.2013 को हुई थी, उसके बाद अपीलार्थी के अनुसार, अपीलार्थी अवसाद में था और जून, 2013 में ही उसे पता चला कि मुकदमे में एकपक्षीय निर्णय और डिक्री पारित की गई थी। इसके तुरंत बाद O.IX R.13 सीपीसी के तहत आवेदन दायर किया गया।

6. अपीलार्थी द्वारा बताए गए कारण को प्रत्यर्थीगण द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है। हालाँकि, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार भारद्वाज ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री, विशेष रूप से अंतिम डिक्री की तैयारी के समय अधिवक्ता-आयुक्त की रिपोर्ट का उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है कि अपीलार्थी ने आयुक्त द्वारा आयोजित कार्यवाही में भाग लिया था।

7. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि O.IX R.13 सीपीसी के प्रावधान न्याय के वास्तविक चाहने वाले की रक्षा करने के लिए हैं और जानबूझकर चोरी करने वाले को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं देते हैं। विद्वान अधिवक्ता ने **परिमल बनाम वीना @ भारती ने (2011) 3 एससीसी 545** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। परिमल (सुप्रा.) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओ.आईएक्स आर.13 सीपीसी के प्रावधानों पर विचार किया और निम्नानुसार देखा:

“13. पर्याप्त कारण" एक अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग बड़ी संख्या में क़ानूनों में किया गया है। "पर्याप्त" शब्द का अर्थ "पूरी तरह से" या "काफी" है, जितना इच्छित उद्देश्य का उत्तर देने के लिए आवश्यक हो सकता है। इसलिए, शब्द " पर्याप्त" में उससे अधिक कुछ शामिल नहीं है जो एक ढिलाई प्रदान करता है, जब किया गया कार्य किसी मामले में मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों में इच्छित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है किसी सतर्क व्यक्ति के उचित मानक के दृष्टिकोण से विधिवत जांच की जाती है। इस संदर्भ में , "पर्याप्त कारण" का अर्थ है कि पार्टी ने लापरवाही से काम नहीं किया था या किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसकी ओर से सद्भावना की कमी थी या पार्टी पर "परिश्रम से काम नहीं करने" या काम में सक्रिय नहीं रहने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। हालाँकि, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में संबंधित न्यायालय को विवेक का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त आधार होना चाहिए क्योंकि जब भी न्यायालय विवेक का प्रयोग करता है, तो उसे विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करना होगा। (रामलाल और अन्य बनाम रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड, एआईआर 1962 एससी 361; सरपंच, लोनंद ग्रामपंचायत बनाम रामगिरि गोसावी और अन्य, एआईआर 1968 एससी 222; सुरिंदर सिंह सिबिया बनाम विजय कुमार सूद, एआईआर 1992 एससी 1540; और ओरिएंटल अरोमा केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम गुजरात औद्योगिक विकास निगम और अन्य, (2010) 5 एससीसी 459)

14. अर्जुन सिंह बनाम मोहिन्द्र कुमार एवं अन्य, एआईआर 1964 एससी 993 मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक अच्छा कारण एक पर्याप्त कारण होता है और गैर-उपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण देना चाहिए। "अच्छे कारण" और "पर्याप्त कारण" के बीच एकमात्र अंतर यह है कि अच्छे कारण की आवश्यकता का अनुपालन "पर्याप्त कारण" की तुलना में कम प्रमाण पर किया जाता है। (यह भी देखें: बृज इंदर सिंह बनाम लाला कांशी राम और अन्य, एआईआर 1917 पी.सी. 156; मणिंद्र

लैंड एंड बिल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भूतनाथ बनर्जी और अन्य, एआईआर 1964 एससी 1336; और माता दीन बनाम ए. नारायणन, एआईआर 1970 एससी 1953)।

15. यह तय करते समय कि पर्याप्त कारण है या नहीं, न्यायालय को संबंधित सभी पक्षों को पर्याप्त न्याय देने के उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए और न्यायालय को कानून की तकनीकीयों को इसके पहले दिए गए निर्णय के आधार पर पर्याप्त न्याय करने और अवैधता को दूर करने से नहीं रोकना चाहिए। (बिहार राज्य एवं अन्य बनाम कामेश्वर प्रसाद सिंह एवं अन्य, एआईआर 2000 एससी 2306; मदनलाल बनाम श्यामलाल, एआईआर 2002 एससी 100; दविंदर पाल सहगल एवं अन्य बनाम मेसर्स प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स (पी) लिमिटेड और अन्य, एआईआर 2002 एससी 451; राम नाथ साव उर्फ राम नाथ साव और अन्य बनाम गोबरधन साव और अन्य, एआईआर 2002 एससी 1201; कौशल्या देवी बनाम प्रेम चंद और अन्य (2005) 10 एससीसी 127; श्रेई इंटरनेशनल फाइनेंस लिमिटेड, बनाम फेयर ग्रोथ फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और अन्य, (2005) 13 एससीसी 95; और रीना साध बनाम अंजना एंटरप्राइजेज, एआईआर 2008 एससी 2054)।

16. आदेश IX, नियम 13 सीपीसी के तहत आवेदन का निर्धारण करने के लिए, यह परीक्षण लागू किया जाना चाहिए कि क्या प्रत्यर्थी ने ईमानदारी से और ईमानदारी से उस समय उपस्थित रहने का इरादा किया था जब मुकदमे को सुनवाई के लिए बुलाया गया था और उसने ऐसा करने की पूरी कोशिश की थी। पर्याप्त कारण इस प्रकार वह कारण है जिसके लिए प्रत्यर्थी को उसकी अनुपस्थिति के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए, आवेदक को उचित बचाव के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। पर्याप्त कारण तथ्यात्मक प्रश्न है और न्यायालय को मामले में विभिन्न और विशेष परिस्थितियों में अपने विवेक का प्रयोग करना होगा। यह सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई स्ट्रेट-जैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **जगदीश प्रसाद स्वामी बनाम रामजी लाल जोशी, आरएलडब्ल्यू 2007 (3) राजस्थान 1970** में प्रकाशित इस न्यायालय के निर्णय पर दृढ़ता से भरोसा किया। जगदीश प्रसाद स्वामी (सुप्रा.) के मामले में, न्यायालय ने कानून को इस प्रकार बताया:

> "7. न्यायालयों का कार्य और न्यायिक प्रणाली के निर्माण का कारण पक्षकारों को न्याय देना है। इस प्रकार, मूल कारण से, अदालतों से अपेक्षा की जाती है कि वे भावना में उदार हों और उनके दृष्टिकोण में पांडित्यपूर्ण न हों। हालाँकि, संहिता का आदेश 9 प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करता है, लेकिन ऐसी शक्ति का उपयोग यंत्रवत् या बिना सोचे-समझे नहीं किया जाना चाहिए। चूँकि ऐसी शक्ति का प्रयोग सुनवाई के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है, चूँकि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है, इसलिए दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले में ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। बार-बार, इस न्यायालय के संज्ञान में यह आया है कि प्रत्यर्थी के लिए इस आधार पर दरवाजा बंद किया जा रहा है कि प्रत्यर्थी ने सीमा अवधि से परे या स्पष्ट रूप से इस आधार पर न्यायालय से संपर्क किया है कि सम्मन तामील किया गया था। प्रत्यर्थी की गैर-उपस्थिति के कारणों की पर्याप्तता का आकलन करते समय, न्यायालय को इस देश की कठोर वास्तविकता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अशिक्षित और गरीब वादी न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। प्रत्यर्थी इस आशा के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है कि उसे अपने मामले का बचाव करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। कभी-कभी, प्रत्यर्थी को अधिवक्ता द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि उसे न्यायालय में मामले की प्रगति के बारे में सूचित किया जाएगा। लेकिन, अधिवक्ता अपने वादे पर कायम रहता है। कभी-कभी, अधिवक्ता "कोई निर्देश नहीं" की दलील देता है, लेकिन प्रत्यर्थी को न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता की "कोई निर्देश नहीं" की दलील के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। कभी-कभी, कहा जाता है कि प्रत्यर्थी को समन भेज दिया गया है, लेकिन ऐसे दावे के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य पेश

नहीं किया जाता है। कई बार समन की तामील कमजोर साक्ष्य पर मान ली जाती है। कभी-कभी, ऐसे वादी को जो न्यायालय से मीलों दूर रह रहे होते हैं, कोई जानकारी दिए बिना मामले एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय को संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत आवेदन को खारिज करने में सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि, प्रत्यर्थी को बिना किसी गलती के न्यायालय से बाहर किया जा रहा है। अनपढ़ वादी को विधिक प्रक्रिया की पेचीदगियों के बारे में शायद ही पता हो। अनपढ़ वादी सहज रूप से और अच्छे विश्वास के साथ अधिवक्ता के आश्वासन पर भरोसा करता है और आशा करता है कि न्यायालय उसके हितों के प्रति सतर्क रहेगी। इसलिए, संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत एक आवेदन से निपटते समय, न्यायालय को न केवल अपनी भावना में उदार होना चाहिए, बल्कि उस वास्तविकता के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए जिसमें वादी सिस्टम में जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। न्यायालय का यांत्रिक, पांडित्यपूर्ण, अदूरदर्शी रवैया मुकदमे को न्यायालय से बाहर फेंक देता है और उसके लिए न्यायालय के दरवाजे बंद कर देता है। ऐसी प्रक्रिया प्रत्यर्थी को इस न्यायालय में जाने के लिए मजबूर करती है और यह न्यायालय अनावश्यक रूप से ऐसे मुकदमों से भर जाता है। यदि ट्रायल कोर्ट को संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत अपनी शक्ति को लागू करने के लिए अधिक संवेदनशील होना होगा, तो इस न्यायालय में आने वाली ऐसी अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोका जा सकता है।

11. एन. बालाकृष्णन बनाम एम. कृष्णमूर्ति मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना था कि न्यायालय को प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर देना चाहिए। इसी तरह, वेजीप्रो फूड्स एंड फीड्स लिमिटेड बनाम जगन्नाथ श्रीलाल एंड संस एसबीसीएमए संख्या 338/2001 के मामले में, 21 अगस्त, 2006 को फैसला सुनाया गया था, इस न्यायालय ने निम्नानुसार माना था-

> "प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात सुने जाने का अधिकार है। ऐसा

अधिकार न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में भी है। सुने जाने का अधिकार जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। ऐसे अधिकार से केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। संहिता के आदेश 9 नियम 6 के तहत, जहां मुकदमे की सुनवाई के लिए बुलाए जाने पर वादी उपस्थित होता है और प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं होता है और यदि यह साबित हो जाता है कि समन की विधिवत तामील की गई थी, तो न्यायालय को मामले की एकपक्षीय सुनवाई करने की शक्ति है। इस प्रकार, यदि प्रत्यर्थी समन प्राप्त करने के बाद उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही करने की हकदार है। संहिता के आदेश 9 नियम 7 के अनुसार यदि प्रत्यर्थी अपनी पिछली गैर-उपस्थिति के लिए अच्छा कारण दिखाता है, तो मुकदमा लड़ने का अधिकार बहाल किया जा सकता है। यदि संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत प्रत्यर्थी के खिलाफ एकपक्षीय डिक्री पारित की गई है, तो प्रत्यर्थी को एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने की मांग करने का अधिकार दिया गया है, बशर्ते उसकी अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण न्यायालय के समक्ष रखा गया हो। न्यायालय को एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने से पहले उचित समझे जाने पर जुर्माना लगाने का भी अधिकार है। एकपक्षीय डिक्री को रद्द करते समय, न्यायालय को प्रत्यर्थी के परस्पर विरोधी हितों को संतुलित करना होगा क्योंकि उसे सुने जाने का अधिकार है, और वादी को यह दावा करने का अधिकार है कि मामले का अंतिम निर्णय उसके पक्ष में हुआ है और उक्त निर्णय और डिक्री को अंतिम रूप देना होगा। चूंकि न्यायालय पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए न्यायालय को संहिता के आदेश 9 नियम 13

के तहत यांत्रिक तरीके से किसी आवेदन को खारिज नहीं करना चाहिए। न्यायालय को प्रत्यर्थी के अधिकार, उसकी सामाजिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि, विधिक प्रक्रिया की जटिलताओं को समझने में सक्षम होने, डिक्री पारित होने के बाद उसके आचरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। यदि न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है कि प्रत्यर्थी जानबूझकर कार्यवाही से बच रहा है, या वह अपने मामले का बचाव करने में सुस्त है, या संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत आवेदन प्रस्तुत करने में अत्यधिक देरी हुई है, तो उक्त आदेश के तहत आवेदन को खारिज करना न्यायालय के लिए उचित होगा। हालाँकि, ऐसे मामलों में जहां वादी गरीब और अशिक्षित है, जहां वह न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता से अनभिज्ञ है, जहां उसे अधिवक्ता द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उसे सूचित किया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई जानकारी कभी नहीं भेजी गई थी, या जहां उसने भेजी है एकपक्षीय डिक्री के बारे में पता चलने पर तुरंत न्यायालय से संपर्क करने के लिए सतर्क हैं, ऐसे मामलों में, उसे न्यायालय को एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए पर्याप्त उदार होना चाहिए। वादी के हितों को संतुलित करने के लिए, प्रत्यर्थी पर लागत लगाने के प्रावधानों को भी लागू किया जाना चाहिए न्यायालय। ऊपर बताई गई स्थितियाँ, निश्चित रूप से, केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण स्थितियों से संबंधित नहीं हैं। प्रत्येक मामले का निर्णय, निश्चित रूप से, उस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सुने जाने का अधिकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से विकसित होता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से उत्पन्न होता है, विचारण न्यायालय द्वारा उदार भावना अपनानी चाहिए। यदि विचारण न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि वादी के हितों की रक्षा की

जानी चाहिए, तो उसे प्रत्यर्थी पर एक लागत, यहां तक कि एक अनुकरणीय लागत लगाने का अधिकार है। ऐसी शक्ति का प्रयोग उचित मामलों में किया जाना चाहिए। संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत शक्तियों के एक संकीर्ण प्रयोग से संबंधित मामले उच्च न्यायालय में व्याप्त है। चूंकि यह एक ऐसा मामला है जिसका निर्णय अधीनस्थ न्यायपालिका द्वारा किया जा सकता है, इसलिए आदेश की अस्वीकृति के खिलाफ उच्च न्यायालय में आने वाली मुकदमेबाजी की बाढ़ को सभी संबंधित पक्षों द्वारा रोका जाना चाहिए।

9. मौजूदा मामला यह नहीं दर्शाता है कि अपीलार्थी निष्क्रिय रहा। जब भी अपीलार्थी स्वतंत्र था, उसने कार्यवाही में भाग लिया, जो कि अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है, हालांकि लंबे समय तक, अपीलार्थी अपने बेटे के इलाज में लगा हुआ था, जिसकी बाद में 2013 में मृत्यु हो गई। इसलिए, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि अपीलार्थी के पास न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने का कोई पर्याप्त एवं समुचित कारण नहीं था। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि जिस दिन एकपक्षीय डिक्री पारित की गई थी, अपीलार्थी न्यायालय परिसर में घूम रहा था या यह कहने के लिए अपने घर पर था कि वह न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने के लिए इच्छुक नहीं था। साक्ष्यों और प्रत्यर्थीगण की स्वीकारोक्ति द्वारा समर्थित बीमार बेटे के लंबे इलाज के कारण अनुपस्थिति के कारण को निचली अदालत द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए था। इसलिए, इस मामले में पर्याप्त न्याय के लिए, दिनांक 14.10.2019 के आक्षेपित आदेश के साथ-साथ प्रारंभिक डिक्री दिनांक 26.2.2009 और अंतिम डिक्री दिनांक 18.1.2012 को रद्द किया जाता है और इस अपील को अनुमति दी जाती है, हालांकि 10,000/- रुपये की लागत के साथ जो यहां प्रत्यर्थीगण को देय होगा।

ट्रायल कोर्ट को मुकदमे में कानून के मुताबिक तेजी से आगे बढ़ने दें।

(बीरेंद्र कुमार), न्यायमूर्ति

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।